

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 846 / 2014

संस्थित दि: 15 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

सम्मेलाल पिता जोहर उर्फ मोहरसिंह, उम्र 20 साल,  
निवासी अडोरी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 29 / 09 / 2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 10.07.2014 को पुलिस चौकी सोनगुड्डा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि वह दिनांक 09.07.2014 को रात्रि के 8-9 बजे खाना खाकर सो गई थी उसकी भुआ का लड़का सम्मेलाल ने उसे जगाया और बोला कि उसे उसके भाई ने अडोरी बुलाया है ठेकेदार आया है पैसे का हिसाब करना है तो वह सम्मेलाल के साथ मोटरसायकिल पर अडोरी जाने के लिये बैठ गई रास्ते में जंगल में सम्मेलाल ने गाड़ी रोकी दी और उसके साथ जबरदस्ती नीचे गिराकर गलत काम (बलात्कार) किया और बोला कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा और छोड़ दिया। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 80 / 14 अन्तर्गत धारा 376, 506(बी) भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 506(बी) के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 506(बी) का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।
- (07) उपारपण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक **13.10.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया ।
- (09) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति पीड़िता की वैजा. स्लाइड एवं आरोपी की सीमन स्लाइड अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल. सागर जांच हेतु भेजा जाना दर्शित है तथा आरोपी का बटुआ नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट